

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था०02/02-06/2014 28 पटना, दिनांक- 24-09-14

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सचिव,

सेवा में,

वरीय अनुसंधान पदाधिकारी (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं
सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा,
सारण, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया एवं मुंगेर।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, नवादा, बक्सर, गया, कैमूर
(भभुआ), भोजपुर, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, सारण, सिवान,
गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी), पंचम्पारण(बेतिया),
सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, शिवहर, वैशाली, मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर,
मधेपुरा, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज,
बांका, सहरसा, सुपौल, कटिहार एवं अररिया।


विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजना भिन्न/आयोजना बजट से मुख्यालय
एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से
वहन हेतु स्वीकृत्यादेश सं०-661 दिनांक 21.03.2012 के प्रतिस्थानी
आदेश-1255 दिनांक 28.08.14 के आलोक में राशि भुगतान के लिए
अतिरिक्त आवंटन के संबंध में। कुल आवंटित राशि ₹० 59,53,000
(उनसठ लाख तिरपन हजार) रूपये मात्र।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-687
दिनांक-24.07.2014 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित
वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बिहार विनियोग विधेयक, 2014 पर महामहिम राज्यपाल
ने दिनांक-23.07.2014 को स्वीकृति प्रदान की है। तत्पश्चात विधि विभाग ने बिहार
विनियोग अधिनियम 2014 को अधिसूचना संख्या-एल0 जी0-1-09/2014: लेज 82 एवं
83 दिनांक-24.07.2014 द्वारा अधिसूचित किया है।

2. कंडिका-1 के आलोक में वित्त विभाग ने 31 मार्च 2015 के अवधि के लिए बजट
में प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की है।
3. कंडिका-02 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय
करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष
02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य
योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना के अन्तर्गत आवंटित की जा
रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-P/3454022050101 है।
5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 48 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
क्रमशः वरीय अनुसंधान पदाधिकारी (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना, सभी संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी) एवं सभी संबंधित जिला
सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।
7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंन्, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
9. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-687 दिनांक 24.07.14 एवं पत्रांक-253 दिनांक 11.03.2014 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
10. स्वीकृत्यादेश संख्या-661 दिनांक 21.03.2012 के प्रतिस्थानी आदेश-1255 दिनांक 28.08.14 के आलोक में भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य सांख्यिकी सुदृढीकरण योजना के तहत वाहन का परिचालन, रख-रखाव तथा कार्यालय संचालन एवं उपस्करों के रख-रखाव हेतु स्वीकृत योजना एवं व्यय विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही राशि विकलनीय है।



विश्वासभाजन


(पंकज कुमार)

सचिव



आवंटन विवरणी


मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अन्तर्गत अतिरिक्त आवंटन। जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-P/3454022050101 है।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	13-02 वाहन का इंधन एवं रख रखाव	कुल योग
1	2	3		4	5
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	425000	-	540000	965000
	प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)		-		
2	पटना	40000	-	54000	94000
3	गया	40000	-	54000	94000
4	दरभंगा	40000	-	54000	94000
5	सारण	40000	-	54000	94000
6	सहरसा	40000	-	54000	94000
7	पूर्णिया	40000	-	54000	94000
8	मुंगेर	40000	-	54000	94000
9	भागलपुर	40000	-	54000	94000
10	मुजफ्फरपुर	40000	-	54000	94000
	जिला सांख्यिकी कार्यालय		-		
11	पटना	55000	-	54000	109000
12	गया	55000	-	54000	109000
13	बक्सर	55000	-	54000	109000
14	भोजपुर	55000	-	54000	109000
15	औरंगाबाद	55000	-	54000	109000
16	रोहतास	55000	-	54000	109000
17	कैमूर(भभुआ)	55000	-	54000	109000
18	नालंदा	55000	-	54000	109000
19	जहानाबाद	55000	-	54000	109000
20	अरवल	55000	-	54000	109000
21	नवादा	55000	-	54000	109000
22	सिवान	55000	-	54000	109000

सं.	कार्यालय का नाम जिन्हे आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	13-02 वाहन का इंधन एवं रख रखाव	कुल योग
1	2	3		4	5
23	सारण	55000	-	54000	109000
24	गोपालगंज	55000	-	54000	109000
25	मुजफ्फरपुर	55000	-	54000	109000
26	पूर्वी चम्पारण	55000	-	54000	109000
27	प०चम्पारण	55000	-	54000	109000
28	सितामढ़ी	55000	-	54000	109000
29	शिवहर	55000	-	54000	109000
30	वैशाली	55000	-	54000	109000
31	दरभंगा	55000	-	54000	109000
32	मधुबनी	55000	-	54000	109000
33	समस्तीपुर	55000	-	54000	109000
34	मुंगेर	55000	-	54000	109000
35	लखीसराय	55000	-	54000	109000
36	शेखपुरा	55000	-	54000	109000
37	जमुई	55000	-	54000	109000
38	बेगूसराय	55000	-	54000	109000
39	खगड़िया	55000	-	54000	109000
40	भागलपुर	55000	-	54000	109000
41	बांका	55000	-	54000	109000
42	सहरसा	55000	-	54000	109000
43	सुपौल	55000	-	54000	109000
44	मधेपुरा	55000	-	54000	109000
45	पूर्णिया	55000	-	54000	109000
46	किशनगंज	55000	-	54000	109000
47	अररिया	55000	-	54000	109000
48	कटिहार	55000	-	54000	109000
कुल योग		2875000	-	3078000	5953000

(उनसठ लाख तिरपन हजार)रु०मात्र




सचिव

योजना एवं विकास विभाग,